(128)

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)

R1585-II/08

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1. रामराज तिवारी तनय् श्री लोलर प्रसाद तिवारी
2. धर्मराज तिवारी तनय् श्री लोलर प्रसाद तिवारी
3. लक्ष्मीकांत तिवारी तनय् श्री लोलर प्रसाद तिवारी
4. हरिशचन्द्र तिवारी तनय् श्री लोलर प्रसाद तिवारी

सभी निवासी ग्राम गौरी, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

——————— निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामाधार तिवारी तनय भूपनारायण तिवारी, निवासी ग्राम गौरी, तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0) ——————— गैर निगरानीकर्ता

श्री मनोज तिवारी अभिभाषक द्वारा आज दि० 04-12-08 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण क्रं. 32/निगरानी/07-08 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2008 विरूद्ध म0प्र0 भू0रा0सं0 की धारा 50 के अधीन निगरानी

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार नहीं किया गया कि तहसील न्यायालय में जो आदेश पारित किया गया था, उस आदेश में तकनीकी त्रुटि हो गई थी जिसे संशोधन करने हेतु आवेदन पत्र निगरानीकर्ता गण द्वारा दिया गया था। और उक्त तकनीकी त्रुटि को संसोधित किये जाने वाबत् तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, तब राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर पूर्व में हुई तकनीकी त्रुटि सुधारने वाबत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु संशोधन होने के पूर्व ही गैर निगराकार द्वारा प्रकरण को लटकाये रखने के उद्देश्य से आधारहीन तथ्यो का सहारा लेकर निगरानी अधीनस्थ क्रमशः न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर के यहां प्रस्तुत कर दी गई और अधीनस्थ न्यायालय उक्त तकनीकी त्रुटि को संशोधन करने में रोक लगाते हुये 10.09.07 को आदेश पारित कर दिया जो विधि के मान्य सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

मनोज तिवारी
04/12/08

— 2 —

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–**R.1585-IV / 08** जिला–रीवा

रामराज तिवारी वगैरः / रमाधार तिवारी

(1)	(2)	(3)
14.03.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	